मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–85/2013/32 भोपाल दिनांक / /2014

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला ग्वालियर ।

2. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
ग्वालियर ।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत ग्वालियर ।

4. आयुक्त
नगर निगम ग्वालियर ।

विषय :–ग्वालियर विकास योजना 2005 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने ग्वालियर विकास योजना 2005 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्रमांक 333
दिनांक 06/3/14
शाखा JD 172
अधीक्षक

(एस के मुदगल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क0–एफ 3–85/2013/32 भोपाल दिनांक 4/3/2014

प्रतिलिपि :–

आयुक्त–सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

713

DM(R)
10/3

ADM

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–85 / 2013 / 32 भोपाल दिनांक / /2014

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला ग्वालियर ।
2. संयुक्त संचालक,
   नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
   ग्वालियर ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत ग्वालियर ।
4. आयुक्त
   नगर निगम ग्वालियर ।

विषय :–ग्वालियर विकास योजना 2005 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने ग्वालियर विकास योजना 2005 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्रमांक 333
दिनांक 06/3/14
शाखा JD 172
अधीक्षक

(एस के मुदगल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क्र0–एफ 3–85 / 2013 / 32 भोपाल दिनांक 4/ 3 /2014

प्रतिलिपि :–

आयुक्त–सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

713

DM(R)

10/3

ADM

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु

भोपाल, दिनांक 04/03/2014

क्रमांक–एफ–3–85/2013/32::मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,(संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट ग्वालियर विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम सीवेज फार्म	219,से 221, 227, 230 से 246, 249 से 256, 282से 287 290 से 311, 314 से 316	40 हेक्टयेर	कृषि(सब्जी बाग)	औद्योगिक (सूचना प्रौद्योगिकी शर्तः– उपांतरण उपरांत प्रश्नाधीन भूमि का समग्र रूप से ऐसा अभिन्यास तैयार करे कि जिसमें सार्वजनिक मार्गो को यथावत रखते हुये तथा निजी मार्गो का उचित समन्वय किया

					जाये ।
		योग–	40 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर तथा www. mptownplan. nic. in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग